



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



सीबीएसई/निदे./(प्रशिक्षण एवं कौशल)/प्रशि./2020

11 जुलाई, 2020

परिपत्र सं.शै.-49/2020

सीबीएसई से संबद्ध संस्थाओं के सभी प्रमुख

विषय : वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर अभिविन्यास-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम

कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया में व्याप्त असाधारण स्थिति को देखते हुए, बोर्ड ने अपने परिपत्र सं. 47/2020 दिनांक 7 जुलाई 2020 द्वारा सत्र 2020-21 के लिए IX-XII कक्षाओं के लिए 'संशोधित शैक्षणिक पाठ्यचर्या' की घोषणा की थी। कम किए गए विषय आंतरिक मूल्यांकन या 2020-21 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा का हिस्सा नहीं होंगे। बोर्ड द्वारा कक्षा IX से XII के लगभग 190 विषयों के लिए केवल एक बार के उपाय के रूप में 30% तक पाठ्यक्रम का युक्तिकरण किया गया है। इसका उद्देश्य मौजूदा स्वास्थ्य आपात स्थिति के कारण छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करना और शिक्षण में हो सकने वाले अंतराल को रोकना है।

सीबीएसई ने अपने परिपत्र सं. 30/2020 दिनांक 25 अप्रैल 2020 द्वारा पूर्व में स्कूलों को प्राथमिक और उच्च कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी द्वारा विकसित वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर को अपनाने/अनुकूलित करने की सलाह दी थी, जिसे फिर से बोर्ड द्वारा इसके परिपत्र सं. एकेड-48/2020 दिनांक 8 जुलाई 2020 द्वारा फिर से दोहराया गया था।

स्कूल बंद होने और आमने-सामने बातचीत का अभाव, सीखने के वांछित स्तर को प्राप्त करने में चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर में वर्णित/उल्लेखित/दी गई विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके तर्कसंगत विषय शामिल किए जाने चाहिए। इस कैलेंडर में वर्तमान समय की तनाव और चिंता को कम करने के लिए न केवल सामान्य दिशा-निर्देश और विषय-विशिष्ट क्रियाकलाप शामिल हैं, बल्कि विभिन्न प्रौद्योगिकीय और सामाजिक मीडिया उपकरणों के उपयोग पर विस्तृत सामग्री भी शामिल है। रणनीतियों के रूप में। इन दिशा-निर्देशों में कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ कई शिक्षण संसाधनों के संदर्भ से संबंधित गतिविधियाँ भी शामिल हैं।

छात्रों की गुणवत्ता और शिक्षण के स्तर से समझौता किए बिना तर्कसंगत पाठ्यक्रम के संचालन में एकरूपता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड 17 जुलाई 2020 को अपराह्न 3 बजे प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के लिए एक आभासी अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। श्री मनोज आहूजा, आईएएस, अध्यक्ष सीबीएसई और डॉ. हृषिकेश सेनापति, निदेशक, एनसीईआरटी ने विशेष रूप से प्राचार्यों को संबोधित करने और उनके साथ बातचीत करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

यह कार्यक्रम निम्नलिखित लिंक पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा:

<https://stream.meet.google.com/stream/5458f984-641e-4841-847b-61c30d2d3a9f>

प्रधानाचार्य इस कार्यक्रम को उस उपकरण के माध्यम से जुड़ सकते हैं जिसमें वे cbseshiksha.in डोमेन पर उपलब्ध ईमेल आईडी से लॉग इन करते हैं। कार्यक्रम को सीबीएसई के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा और उसका लिंक सीबीएसई-सीओई और ई-संदेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

बोर्ड के सभी संबद्ध स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि वे अपने शिक्षकों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लें, ताकि तर्कसंगत पाठ्यक्रम को सही अर्थ में संचालित किया जा सके।

(डॉ. विश्वजीत साहा)

(प्रशिक्षण एवं कौशल शिक्षा)

'शिक्षा सदन', 17, राऊज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002

'ShikshaSadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



प्रतिलिपि:- नीचे निर्दिष्ट किये गये संबंधित निदेशालयों, संगठनों और संस्थाओं के प्रमुखों को उनके अधिकार-क्षेत्र के सभी संबंधित विद्यालयों को सूचना का प्रसार करने के अनुरोध के साथ प्रेषित:-

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, एसआईएस मार्ग, दिल्ली-110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय संगठन, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा- 201309.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054
4. अपर प्रमुख सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (विद्यालय शिक्षा), अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानागर- 791111
5. अपर प्रमुख सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (विद्यालय शिक्षा), सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101
6. प्रधान सचिव/सचिव (विद्यालय शिक्षा), एनसीटी दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.
7. प्रधान सचिव (विद्यालय शिक्षा), संघ राज्यक्षेत्र सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़
8. प्रधान सचिव/सचिव (विद्यालय शिक्षा), अंडमान निकोबार द्वीपसमूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर
9. प्रधान सचिव/सचिव (विद्यालय शिक्षा), उड़ीसा सरकार
10. प्रधान सचिव/सचिव (विद्यालय शिक्षा), छत्तीसगढ़ सरकार
11. प्रधान सचिव/सचिव (विद्यालय शिक्षा), त्रिपुरा सरकार
12. प्रधान सचिव/सचिव (विद्यालय शिक्षा), हरियाणा सरकार
13. निदेशक जन अनुदेशन (विद्यालय) संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर-9, चण्डीगढ़-160017
14. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक सिक्किम-737101
15. विद्यालय शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर - 791111
16. शिक्षा निदेशक, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर -744101
17. निदेशक, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ईएसएसईएसएस प्लाज़ा, समुदाय केंद्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली
18. अपर सेना शिक्षा महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
19. अवर सचिव (ईई-), मासंविमं, भारत सरकार, एसईएंडआई विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.
20. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (सेना), एफडीआरसी भवन सं. 202, शंकर विहार (एपीएस के समीप), दिल्ली कैंट-110010
21. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीयअधिकारी, इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अनुपालन के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को प्रेषित किया जाए।
22. बोर्ड के सीओई के सभी प्रमुख, इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को उनके संबंधित क्षेत्रों में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालयों के प्रमुखों को प्रेषित करें।
23. प्रभारी आईटी एकक, इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीबीएसई की शैक्षणिक वेबसाइट पर रखा जाए।
24. प्रमुख (जनसंपर्क), सीबीएसई
25. सचिव, निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), निदेशक (शैक्षणिक), परीक्षा नियंत्रण, निदेशक (कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण), निदेशक (व्यावसायिक परीक्षाएं), सीबीएसई
26. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के एसपीएस, सीबीएसई
27. निदेशक (शैक्षणिक) के एसपीएस, सीबीएसई
28. परीक्षा नियंत्रक के एसपीएस, सीबीएसई
29. निदेशक (प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा) के एसपीएस, सीबीएसई
30. प्रभारी आईटी यूनिट को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीबीएसई शैक्षणिक वेबसाइट पर रखें

निदेशक (कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण)